भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3336
7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर का पता लगाने/स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन

†3336. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश, विशेषकर कोनासीमा जिले में सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कार्यरत कैंसर का पता लगाने/स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस प्रकार के कैंसर का पता लगाने/स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन को केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसी मोबाइल वैन द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों के चयन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश में ऐसी मोबाइल वैन के माध्यम से वर्ष-वार कितने लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई, कितने कैंसर के मामलों का पता लगाया गया और कितने मामले रेफर किए गए;
(ङ) उक्त अवधि के दौरान कैंसर का पता लगाने और स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल पहलों के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रति वैन लागत और प्रति स्क्रीनिंग लागत कितनी है; और
(च) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में कैंसर का पता लगाने/स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन के दायरे को बढ़ाने तथा उन्हें एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): लोक स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य के विषय हैं। तदनुसार, मोबाइल कैंसर-पहचान/जांच (स्क्रीनिंग) वैनों की तैनाती एवं संचालन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत

भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों तथा उपलब्ध संसाधन सीमा के अधीन तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हिस्से के रूप में कार्यान्वित राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की मुख, स्तन तथा गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तैनाती भी कर सकते हैं।

एनपी-एनसीडी कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-संचारी रोगों के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, जांच (स्क्रीनिंग), शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार तथा स्वास्थ्य संवर्धन को सुदृढ़ करना है। एनपी-एनसीडी के तहत देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, देशभर में जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर उपचार की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए 524 डे केयर कैंसर केन्द्र (डीसीसीसी) कार्यशील हैं।
